फूड सप्लीमेंट के लिए सरकार बनाएगी नए खाद्य मानक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार का खाद्य नियामक एफएसएसएआइ जल्द ही डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत बिकने वाले फूड सप्लीमेंट के लिए नए खाद्य मानक जारी करेगा। इससे लोगों को सुरक्षित और पोषक खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। बीते साल ही खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने इस तरह के उत्पादों के लिए क्वालिटी और सेफ्टी मानकों का मसौदा जारी किया था।

इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आइडीएसए) के एक सम्मेलन में एफएसएसएआइ सीईओ पवन कुमार ने कहा कि नए मानक अपने अंतिम दौर में हैं। जल्द ही केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में संलग्न कंपनियों में से साठ फीसद फूड सप्लीमेंट और अन्य खाद्य उत्पादों के कारोबार में हैं। उन्होंने आइडीएसए से अपने सदस्यों में खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करने को कहा। आइडीएसए के चेयरमैन जितेंद्र जागोटा ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2019-20 तक 15000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। इस अवधि तक यह उद्योग 90 लाख लोगों को कारोबार का अवसर प्रदान करने की स्थिति में होगा।